



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235478
CG-DL-E-30042022-235478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]
No. 312]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2022/वैशाख 10, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2022/VAISAKHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2022

सं. 23/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 326(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 26/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2000 जिसे सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 1 मार्च, 2000	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, लिस्ट 3 में, - (i) क्रमांक 131 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62041210, 62041290" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

	के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	(ii) क्रमांक 132 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62041310, 62041390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रमांक 136 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62042310, 62042390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रमांक 139 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62043210, 62043290" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 140 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62043310, 62043390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रमांक 145 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62044410, 62044490" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रमांक 148 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62045210, 62045290" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रमांक 149 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62045310, 62045390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ix) क्रमांक 156 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62053010, 62053090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (x) क्रमांक 181 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62101010, 62101020, 62101090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (xi) क्रमांक 194 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62114310, 62114390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (xii) क्रमांक 204 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62143010, 62143090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (xiii) क्रमांक 205 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62144010, 62144090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2.	अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005, जिसे सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रमांक 8 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8518 29" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रमांक 9 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8518 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
3.	अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, जिसे सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 115 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8518 29 10 से 8518 29 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
4.	अधिसूचना संख्या 74/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, जिसे सा.का.नि. 499 (अ),	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 12 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0511 91 40, 0511 91 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

	दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।																					
5.	अधिसूचना संख्या 75/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, जिसे सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>“9क.</td><td>0306 36 60</td><td>सभी वस्तुएं”;</td></tr></table> (ii) क्रमांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (iii) क्रमांक 229 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62041310 से 62045100" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रमांक 230 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62045100 से 62045991" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 247 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62114310 से 62114390" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रमांक 251 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62141040 से 62141090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रम संख्या 256 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62143010 से 62159090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;	(1)	(2)	(3)	“9क.	0306 36 60	सभी वस्तुएं”;														
(1)	(2)	(3)																				
“9क.	0306 36 60	सभी वस्तुएं”;																				
6.	अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, जिसे सा.का.नि. 583(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 105 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“105क</td><td>0306 36 60</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>50%”;</td></tr></table> (ii) क्रमांक 124 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0511 91 40, 0511 91 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रमांक 125 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (iv) क्रमांक 126 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0511 99 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 130 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0703 10 11, 0703 10 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 833 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“833क</td><td>6815 99 30</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>80%”;</td></tr></table> (vii) क्रम संख्या 1032 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	“105क	0306 36 60	सभी वस्तुएं	50%”;	(1)	(2)	(3)	(4)	“833क	6815 99 30	सभी वस्तुएं	80%”;	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)																			
“105क	0306 36 60	सभी वस्तुएं	50%”;																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
“833क	6815 99 30	सभी वस्तुएं	80%”;																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			

			"1032	9503	लकड़ी, धातु या प्लास्टिक से बने सामानों के अलावा सभी वस्तुएं	80%";								
7.	अधिसूचना संख्या 10/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 15 जनवरी, 2008 जिसे सा.का.नि. 33 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2008 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>"200क</td><td>3920 10 13</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>5.00%";</td></tr></table> (ii) क्रम संख्या 287 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "60053710, 60053790" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रमांक 299 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "63079091, 63079099" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 325 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियाँ "7210 49 10, 7210 49 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 328 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7212 20 91, 7212 20 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रमांक 467 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टियाँ "8518 21 10, 8518 21 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रमांक 468 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, "85182210, 85182290" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रमांक 469 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "85183011 से 85183090" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;					(1)	(2)	(3)	(4)	"200क	3920 10 13	सभी वस्तुएं	5.00%";
(1)	(2)	(3)	(4)											
"200क	3920 10 13	सभी वस्तुएं	5.00%";											
8.	अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट - I में, सारणी में, क्रमांक 98 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6205 30 10, 6205 30 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;												
9.	अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 जिसे सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 16 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 20 11, 2818 20 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;												
10.	अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रमांक 157 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 20 से 2823 00 (2818 20 11 और 2818 20 19 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रमांक 158 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 20 11, 2818 20 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;												

11.	अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 1 जून, 2011, जिसे सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 1 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 37 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि "0306 34, 0306 36 60, 0306 94" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 225 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 से 2822 (2818 20 11 और 2818 20 19 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रमांक 226 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 20 11, 2818 20 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;								
12.	अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 1 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 37 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि "0306 34, 0306 36 60, 0306 94" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रमांक 235 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 से 2822 (2818 20 11 और 2818 20 19 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रमांक 236 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2818 20 11, 2818 20 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;								
13.	अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>"28क</td><td>0306 36 60</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>0.0";</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	"28क	0306 36 60	सभी वस्तुएं	0.0";
(1)	(2)	(3)	(4)							
"28क	0306 36 60	सभी वस्तुएं	0.0";							
14.	अधिसूचना संख्या 68/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, जिसे सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, - (i) क्रमांक 32 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0703 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रमांक 472 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "62114991, 62114999" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;								
15.	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 326 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5603 11 10 से 5603 11 90 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;								

16.	अधिसूचना संख्या 50/2018 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604(अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, भाग क में,- (i) क्रमांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और संबंधित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>"25.</td><td>0305 से 0306</td><td>सभी वस्तुएं [आर्टेमिया के अलावा]</td><td>100</td></tr><tr><td>25क.</td><td>0306 36 60</td><td>आर्टेमिया</td><td>30";</td></tr></table> (ii) क्रमांक 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; (iii) क्रमांक 50 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0511 99 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रमांक 702 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7210 30 91, 7210 30 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 743 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7225 91 10, 7225 91 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रमांक 750 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7302 10 11, 7302 10 12, 7302 10 13, 7302 10 14, 7302 10 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रमांक 917 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8112 31 00 से 8112 99 00 (8112 69 10, 8112 69 20 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रम संख्या 917 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>"917 क.</td><td>8112 69 10, 8112 69 20</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>40";</td></tr></table> (ix) क्रमांक 917ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;	(1)	(2)	(3)	(4)	"25.	0305 से 0306	सभी वस्तुएं [आर्टेमिया के अलावा]	100	25क.	0306 36 60	आर्टेमिया	30";	(1)	(2)	(3)	(4)	"917 क.	8112 69 10, 8112 69 20	सभी वस्तुएं	40";
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"25.	0305 से 0306	सभी वस्तुएं [आर्टेमिया के अलावा]	100																			
25क.	0306 36 60	आर्टेमिया	30";																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"917 क.	8112 69 10, 8112 69 20	सभी वस्तुएं	40";																			
17.	अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 241(अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, (a) सारणी I में, (i) क्रम संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>"232क.</td><td>3920 10 13</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>9.5%";</td></tr></table> (ii) क्रम संख्या 485, 486 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>"485.</td><td>9503 00 91</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>16.00%</td></tr><tr><td>486.</td><td>9503 00 99</td><td>सभी वस्तुएं</td><td>16.00%";</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	"232क.	3920 10 13	सभी वस्तुएं	9.5%";	(1)	(2)	(3)	(4)	"485.	9503 00 91	सभी वस्तुएं	16.00%	486.	9503 00 99	सभी वस्तुएं	16.00%";
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"232क.	3920 10 13	सभी वस्तुएं	9.5%";																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"485.	9503 00 91	सभी वस्तुएं	16.00%																			
486.	9503 00 99	सभी वस्तुएं	16.00%";																			

	(b) सारणी 3 में, (i) क्रमांक 70 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 29 91, 6204 29 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रमांक 72 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 32 10, 6204 32 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 73 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 33 10, 6204 33 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रमांक 76 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 39 91, 6204 39 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रमांक 85 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 44 10, 6204 44 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रमांक 87 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 52 10, 6204 52 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रमांक 88 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 53 10, 6204 53 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रमांक 89 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 59 11, 6204 59 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ix) क्रम संख्या 90 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 59 91, 6204 59 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
--	--

2. यह अधिसूचना 01 मई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/10/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2000 -सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 1995 को सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 1 मार्च, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 964(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 को सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022 जिसे सा.का.नि. 89(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2005- सीमाशुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 को सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

- [illegible]

12. प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 1 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. 499 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
13. प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. 593 (अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
14. प्रधान अधिसूचना संख्या 68/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को सा.का.नि. 953 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
15. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 01, फ़रवरी, 2022 जिसे सा.का.नि. 76(अ), दिनांक 01 फ़रवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
16. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018 को सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
17. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 को सा.का.नि. 241 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसे सा.का.नि. 247(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2022

No. 23/2022-Customs

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 26/2000-Customs, dated 1 st March, 2000, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R.178(E), dated the 1 st March, 2000.	In the said notification, in the TABLE, in List 3, - (i) against serial number 131, for the entry in column (2), the entry “62041210, 62041290” shall be substituted; (ii) against serial number 132, for the entry in column (2), the entry “62041310, 62041390” shall be substituted; (iii) against serial number 136, for the entry in column (2), the entry “62042310, 62042390” shall be substituted; (iv) against serial number 139, for the entry in column (2), the entry “62043210, 62043290” shall be substituted; (v) against serial number 140, for the entry in column (2), the entry “62043310, 62043390” shall be substituted; (vi) against serial number 145, for the entry in column (2), the entry “62044410, 62044490” shall be substituted; (vii) against serial number 148, for the entry in column (2), the entry “62045210, 62045290” shall be substituted; (viii) against serial number 149, for the entry in column (2), the entry “62045310, 62045390” shall be substituted; (ix) against serial number 156, for the entry in column (2), the entry “62053010, 62053090” shall be substituted; (x) against serial number 181, for the entry in column (2), the entry “62101010, 62101020, 62101090” shall be substituted; (xi) against serial number 194, for the entry in column (2), the entry “62114310, 62114390” shall be substituted; (xii) against serial number 204, for the entry in column (2), the entry “62143010, 62143090” shall be substituted; (xiii) against serial number 205, for the entry in column (2), the entry “62144010, 62144090” shall be substituted;
2.	Notification No. 25/2005-Customs, dated the 1 st March, 2005, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 123(E), dated the 1 st March, 2005.	In the said notification, in the TABLE, - (i) against serial number 8, for the entry in column (2), the entry “8518 29” shall be substituted; (ii) against serial number 9, for the entry in column (2), the entry “8518 30” shall be substituted;
3.	Notification No. 73/2005-Customs, dated the 22 nd July, 2005, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 498(E), dated the 22 nd July, 2005.	In the said notification, in the TABLE, against serial number 115, for the entry in column (2), the entries “8518 29 10 to 8518 29 90” shall be substituted;
4.	Notification No. 74/2005-Customs, dated the 22 nd July, 2005, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 499(E), dated the 22 nd July, 2005.	In the said notification, in the TABLE, against serial number 12, for the entry in column (2), the entries “0511 91 40, 0511 91 90” shall be substituted;
5.	Notification No. 75/2005-Customs, dated the 22 nd July, 2005, published in Official	In the said notification, in the TABLE,-

	Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 500(E), dated the 22 nd July, 2005.	(i) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>“9A</td><td>0306 36 60</td><td>All goods”;</td></tr></table> (ii) serial number 22 and the entries relating thereto shall be omitted; (iii) against serial number 229, for the entry in column (2), the entry “62041310 to 62045100” shall be substituted; (iv) against serial number 230, for the entry in column (2), the entry “62045100 to 62045991” shall be substituted; (v) against serial number 247, for the entry in column (2), the entry “62114310 to 62114390” shall be substituted; (vi) against serial number 251, for the entry in column (2), the entry “62141040 to 62141090” shall be substituted; (vii) against serial number 256, for the entry in column (2), the entry “62143010 to 62159090” shall be substituted;	(1)	(2)	(3)	“9A	0306 36 60	All goods”;																		
(1)	(2)	(3)																								
“9A	0306 36 60	All goods”;																								
6.	Notification No. 101/2007-Customs dated 11 th September, 2007, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 583(E), dated the 11 th September, 2007.	In the said notification, in the TABLE, - (i) after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“105A</td><td>0306 36 60</td><td>All goods</td><td>50%”;</td></tr></table> (ii) against serial number 124, for the entry in column (2), the entries “0511 91 40, 0511 91 90” shall be substituted; (iii) serial number 125 and the entries relating thereto shall be omitted; (iv) against serial number 126, for the entry in column (2), the entry “0511 99 10” shall be substituted; (v) against serial number 130, for the entry in column (2), the entries “0703 10 11, 0703 10 19” shall be substituted; (vi) after serial number 833 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“833A</td><td>6815 99 30</td><td>All goods</td><td>80%”;</td></tr></table> (vii) for serial number 1032 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“1032</td><td>9503</td><td>All goods, other than those made of wood, metal or plastics</td><td>80%”;</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	“105A	0306 36 60	All goods	50%”;	(1)	(2)	(3)	(4)	“833A	6815 99 30	All goods	80%”;	(1)	(2)	(3)	(4)	“1032	9503	All goods, other than those made of wood, metal or plastics	80%”;
(1)	(2)	(3)	(4)																							
“105A	0306 36 60	All goods	50%”;																							
(1)	(2)	(3)	(4)																							
“833A	6815 99 30	All goods	80%”;																							
(1)	(2)	(3)	(4)																							
“1032	9503	All goods, other than those made of wood, metal or plastics	80%”;																							
7.	Notification No. 10/2008-Customs, dated the 15 th January, 2008, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 33(E), dated the 15 th January, 2008.	In the said notification, in the TABLE, - (i) after serial number 200 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“200A</td><td>3920 10 13</td><td>All goods</td><td>5.00%”;</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	“200A	3920 10 13	All goods	5.00%”;																
(1)	(2)	(3)	(4)																							
“200A	3920 10 13	All goods	5.00%”;																							

		(ii) against serial number 287, for the entry in column (2), the entry “60053710, 60053790” shall be substituted; (iii) against serial number 299, for the entry in column (2), the entry “63079091, 63079099” shall be substituted; (iv) against serial number 325, for the entry in column (2), the entries “7210 49 10, 7210 49 90” shall be substituted; (v) against serial number 328, for the entry in column (2), the entries “7212 20 91, 7212 20 99” shall be substituted; (vi) against serial number 467, for the entry in column (2), the entries “85182110, 85182190” shall be substituted; (vii) against serial number 468, for the entry in column (2), the entries “85182210, 85182290” shall be substituted; (viii) against serial number 469, for the entry in column (2), the entries “85183011 to 85183090” shall be substituted;
8.	Notification No. 96/2008-Customs dated 13 th August, 2008, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 590(E), dated the 13 th August, 2008.	In the said notification, in APPENDIX –I, in the TABLE, against serial number 98, for the entry in column (2), the entry “62053010, 62053090” shall be substituted;
9.	Notification No. 57/2009-Customs dated 30 th May, 2009, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 371(E), dated the 30 th May, 2009.	In the said notification, in the TABLE, against serial number 16, for the entry in column (2), the entries “2818 20 11, 2818 20 19” shall be substituted;
10.	Notification No. 152/2009-Customs, dated the 31 st December, 2009, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 943(E), dated the 31 st December, 2009.	In the said notification, in the TABLE, - (i) against serial number 157, for the entry in column (2), the entry “2818 20 to 2823 00 (except 2818 20 11 and 2818 20 19)” shall be substituted; (ii) against serial number 158, for the entry in column (2), the entry “2818 20 11, 2818 20 19” shall be substituted;
11.	Notification No. 46/2011-Customs, dated the 1 st June, 2011, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 423 (E), dated the 1 st June, 2011.	In the said notification, in the TABLE, - (i) against serial number 37, for the entries in column (2), the entries “0306 34, 0306 36 60, 0306 94” shall be substituted; (ii) against serial number 225, for the entries in column (2), the entry “2818 to 2822 (except 2818 20 11 and 2818 20 19)” shall be substituted; (iii) against serial number 226, for the entries in column (2), the entries “2818 20 11, 2818 20 19” shall be substituted;
12.	Notification No. 53/2011-Customs, dated the 1 st July, 2011, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 499(E), dated the 1 st July, 2011.	In the said notification, in the TABLE, - (i) against serial number 37, for the entries in column (2), the entries “0306 34, 0306 36 60, 0306 94” shall be substituted; (ii) against serial number 235, for the entries in column (2), the entry “2818 to 2822 (except 2818 20 11 and 2818 20 19)” shall be substituted; (iii) against serial number 236, for the entry in column (2), the entries “2818 20 11, 2818 20 19” shall be substituted;

13.	Notification No. 69/2011-Customs, dated the 29 th July, 2011, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 593(E), dated the 29 th July, 2011	In the said notification, in the TABLE, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“28A</td><td>0306 36 60</td><td>All goods</td><td>0.0”;</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	“28A	0306 36 60	All goods	0.0”;												
(1)	(2)	(3)	(4)																			
“28A	0306 36 60	All goods	0.0”;																			
14.	Notification No. 68/2012-Customs dated 31 st December, 2012, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 953(E), dated the 31 st December, 2012	In the said notification, in Table III, - (i) against serial number 32, for the entry in column (2), the entry “0703 10” shall be substituted; (ii) against serial number 472, for the entry in column (2), the entry “62114991, 62114999” shall be substituted;																				
15.	Notification No. 50/2017-Customs dated 30 th June, 2017, published in Official gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 785(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the TABLE, against serial number 326, for the entry in column (2), the entries “5603 11 10, 5603 11 90” shall be substituted;																				
16.	Notification No. 50/2018-Customs dated 30 th June, 2018, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 604(E), dated the 30 th June, 2018	In the said notification, in the TABLE, in Part A, - (i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“25.</td><td>0305 to 0306</td><td>All goods [other than Artemia]</td><td>100</td></tr><tr><td>25A.</td><td>0306 36 60</td><td>Artemia</td><td>30”;</td></tr></table> (ii) serial number 49 and the entries relating thereto shall be omitted; (iii) against serial number 50, for the entry in column (2), the entry “0511 99 10” shall be substituted; (iv) against serial number 702, for the entry in column (2), the entries “7210 30 91, 7210 30 99” shall be substituted; (v) against serial number 743, for the entry in column (2), the entries “7225 91 10, 7225 91 90” shall be substituted; (vi) against serial number 750, for the entry in column (2), the entries “7302 10 11, 7302 10 12, 7302 10 13, 7302 10 14, 7302 10 19” shall be substituted; (vii) against serial number 917, for the entry in column (2), the entries “8112 31 00 to 8112 99 00 (except 8112 69 10, 8112 69 20)” shall be substituted; (viii) for serial number 917A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: - <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>“917A.</td><td>8112 69 10, 8112 69 20</td><td>All goods</td><td>40”;</td></tr></table> (ix) serial number 917B and the entries relating thereto shall be omitted;	(1)	(2)	(3)	(4)	“25.	0305 to 0306	All goods [other than Artemia]	100	25A.	0306 36 60	Artemia	30”;	(1)	(2)	(3)	(4)	“917A.	8112 69 10, 8112 69 20	All goods	40”;
(1)	(2)	(3)	(4)																			
“25.	0305 to 0306	All goods [other than Artemia]	100																			
25A.	0306 36 60	Artemia	30”;																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
“917A.	8112 69 10, 8112 69 20	All goods	40”;																			
17.	Notification No. 25/2021-Customs dated 31 st March, 2021, published in Official Gazette , <i>vide</i> , G.S.R. 241(E), dated the 31 st March, 2021	In the said notification, (a) in TABLE 1, (i) after serial number 232 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -																				

1. The principal notification No.26/2000-Customs dated the 1st March, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.178(E), dated the 1st March, 2000, and was last amended by notification No.36/2019-Customs dated the 30th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),vide, number G.S.R.964(E), dated the 30th December, 2019.
2. The principal notification No.25/2005-Customs dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.123(E), dated the 1st March, 2005, and was last amended by notification No.15/2022-Customs dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),vide, number G.S.R.89(E), dated the 1st February, 2022.

3. The principal notification No.73/2005-Customs dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.498(E), dated the 22nd July, 2005, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
4. The principal notification No.74/2005-Customs dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.499(E), dated the 22nd July, 2005, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
5. The principal notification No.75/2005-Customs dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.500(E), dated the 22nd July, 2005, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
6. The principal notification No.101/2007-Customs dated the 11th September, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.583(E), dated the 11th September, 2007, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
7. The principal notification No.10/2008-Customs dated the 15th January, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.33(E), dated the 15th January, 2008, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
8. The principal notification No.96/2008-Customs dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.590(E), dated the 13th August, 2008, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
9. The principal notification No.57/2009-Customs dated the 30th May, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.371(E), dated the 30th May, 2009, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
10. The principal notification No.152/2009-Customs dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.943(E), dated the 31st December, 2009, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
11. The principal notification No.46/2011-Customs dated the 1st June, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.423(E), dated the 1st June, 2011, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
12. The principal notification No.53/2011-Customs dated the 1st July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.499(E), dated the 1st July, 2011, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.

13. The principal notification No.69/2011-Customs dated the 29th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.593(E), dated the 29th July, 2011, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
14. The principal notification No.68/2012-Customs dated 31st December, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.953(E), dated the 31st December, 2012, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
15. The principal notification No.50/2017-Customs dated the 30th June 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.785(E), dated the 30th June 2018, and was last amended by notification No.02/2022-Customs dated the 01st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.76 (E), dated the 01st February, 2022.
16. The principal notification No.50/2018-Customs dated the 30th June 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.604(E), dated the 30th June 2018, and was last amended by notification No.60/2021-Customs dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2021.
17. The principal notification No.25/2021-Customs dated the 31st March, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.241(E), dated the 31st March, 2021, and was last amended by notification No.17/2022-Customs dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.247(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2022

सं. 24/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 327(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13), की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 11/2018 – सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो संख्यांक सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (2) में क्रम संख्यांक 1 के सामने

(i) "6204 44 00" अंकों के स्थान पर, "6204 44 10, 6204 44 90" अंक रखे जाएंगे;

(ii) "6211 43 00" अंकों के स्थान पर, "6211 43 10, 6211 43 90" अंक रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/10/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2018 – सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो संख्यांक सा.का.नि. 114 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना संख्यांक 03/2022- सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022, द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था, जो संख्यांक सा.का.नि. 77 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी।